



उपकार

नवोदय विद्यालय

प्रवेश परीक्षा

हिन्दी मात्रा

(कक्षा VI के लिए)

लेखक

प्रो. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी

उपकार प्रकाशन, आगरा

Introducing Direct Shopping

*Now you can purchase from our vast range
of books and magazines at your convenience :*

- Pay by Credit Card/Debit Card or Net Banking facility on our website www.upkar.in OR
- Send Money Order/Demand Draft of the print price of the book favouring 'Upkar Prakashan' payable at [Agra](#). In case you do not know the price of the book, please send Money Order/Demand Draft of ₹ 100/- and we will send the books by VPP (Cash on delivery).

(Postage charges FREE for purchases above ₹ 100/. For orders below ₹ 100/, ₹ 20/- will be charged extra as postage)

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हैंड ऑफिस : 1 स्टेट बैंक कॉलोनी, निकट खन्दारी, आगरा-मथुरा बाई-पास, आगरा-282 005

रजि. ऑफिस : 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), आगरा-282 002

फोन : 2530966, 2531101

E-mail : care@upkar.in, Website : www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस :

4845, अन्सारी रोड, दरियागंज,

पारस भवन (प्रथम तल),

16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगन गुड़ा

नई दिल्ली-110 002

खजांची रोड,

आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड

फोन : 011-23251844,

पटना-800 004

(यूनियन बैंक के बगल में), हैदराबाद-500 036 (तेलंगाना)

43259035

फोन : 0612-2303340

फोन : 040-24557283

8-310/1, ए. के. हाऊस,

हीरानगर, हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल-263 139 (उत्तराखण्ड)

मोबा. : 7060421008

- इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।
- इस पुस्तक को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के, किसी भी रूप-फोटोग्राफी, विद्युत-ग्राफिक, यान्त्रिकी अथवा अन्य रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नहीं छापा जा सकता है।
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा।

ISBN : 978-81-7482-384-7

Code No. 1177

मुद्रक : उपकार प्रकाशन (प्रिंटिंग यूनिट) बाई-पास, आगरा

प्रस्तावना

(सामान्य परिचय : अपठित और वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

अपठित का अर्थ होता है, जो पहले, इससे पूर्व न पढ़ा गया हो। इसी प्रकार के गद्यांशों को देकर उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

परीक्षाओं में भाषा के प्रश्न-पत्र में प्रायः ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं, जिनका पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात् जो किसी पाठ्य-पुस्तक से उद्धृत नहीं होते हैं। इन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछकर परीक्षार्थियों की बौद्धिक गहराई (Intelligent Quotient), पहुँच, पकड़ और सामान्य समझदारी का परीक्षण किया जाता है—यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि परीक्षार्थी किसी नए लेख में अथवा कविता के कथ्य को, उसमें लिखी गई बात को यानी उसके कथ्य को किस सीमा तक समझने में सक्षम है।

इसके अतिरिक्त इन अपठित अंशों के माध्यम से परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान और स्वतन्त्र अध्ययन की क्षमता (योग्यता) का भी मूल्यांकन हो जाता है। उद्देश्य रहता है यह जानना कि बिना सहारे के, स्वतन्त्र रूप में भाषा को समझने की कितनी योग्यता परीक्षार्थी ने प्राप्त कर ली है। ये अवतरण कहीं से भी—दैनिक समाचार-पत्रों से, मासिक पत्रिकाओं से, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों से, किसी लेखक की रचनाओं से, किसी गणमान व्यक्ति के व्याख्यान से, किसी साधु सन्त के प्रवचन से, कोई अंश लेकर दे दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपठित के रूप में ऐसा गद्यांश दिया जाता है, जो परीक्षार्थी की आँखों के सामने से पहले न गुजरा हो। यदि कदाचित् वह अंश किसी परीक्षार्थी ने पूर्व में पढ़ा हो, तो यही कहा जाएगा कि उक्त परीक्षार्थी एक अध्ययनशील व्यक्ति है, जो अध्ययन के सन्दर्भ में अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों तक अपने को सीमित नहीं रखता है।

अपठित गद्यांशों को समझने में, उनके कथ्यों को, व्यक्त मूलभावों को समझने के लिए परीक्षार्थी को थोड़ा श्रम करना पड़ता है और इस प्रयत्न में उनका बुद्धिवल, बौद्धिक तत्व सहायता करता है। मनोविज्ञान के पंडित इसे मानसिक व्यायाम कहते हैं। जो भी हो, ऐसा करते हुए, इन गद्यांशों को समझने का प्रयास करते हुए पाठक के बुद्धिवल को श्रम करना पड़ता है। फलतः उसके ज्ञानवर्द्धन की सामर्थ्य का परीक्षण भी हो जाता है और उसका शोधन एवं वर्धन भी हो जाता है। बालक / बालिका के बौद्धिक स्तर के विकास हेतु यह एक सहज एवं निश्चित माध्यम माना जाता है। इससे रटन्त्र पद्धति से क्रमशः छुटकारा प्राप्त होता है और बालक / बालिकाओं को स्वतन्त्र विकास के अवसर प्राप्त होते हैं।

यह कोई विशेष कठिन कार्य है—ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रश्न दिए हुए गद्यांश पर आधारित रहते हैं तथा सभी प्रश्नों के उत्तर उद्धृत दिए हुए गद्यांश में मौजूद रहते हैं। सावधानी एवं धैर्यपूर्वक प्रस्तुत अनुच्छेद को एक या दो बार पढ़ने पर समस्त प्रश्नों के उत्तर

मिल जाते हैं। ऐसा करने से एक अतिरिक्त लाभ भी विद्यार्थी / परीक्षार्थी को होता है। वह प्रस्तुत गद्यांश को पूरी तरह पढ़ने और समझने का अभ्यस्त बनता है। सामान्यतः होता यह है कि हम लोग सामने प्रस्तुत सामग्री को पूरी तरह पढ़ते नहीं हैं। एक सादा सरसरी नजर डालकर अथवा एक हल्के ढंग से पढ़कर यह जानने भर का प्रयत्न करते हैं कि इसमें किस बात का उल्लेख है। हम उसके मन्त्रव्य और विवरण को भली प्रकार जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। सतही अध्ययन का परिणाम यह होता है कि आवश्यकता होने पर हम केवल इतना ही कह पाते हैं कि इसको कहीं पढ़ा अवश्य है, यह ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कहा गया है अथवा लिखा गया है। पढ़ी हुई चीज़ का परीक्षा भवन में पूरी तरह उपयोग न कर सकना इस प्रवृत्ति का सर्वाधिक दुःखद परिणाम कहा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के अलावा समाचार-पत्र, मासिक पत्रिकाएँ, रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें आदि पढ़ने के प्रति रुचि रखने वाले छात्र/छात्राओं के सामने उक्त प्रकार के दुःखद अवसरों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। कथ्य के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर ध्यान को केन्द्रित करने पर बौद्धिकता में प्रगति आती है और पाठक/पाठिका की सार-ग्राहिणी प्रवृत्ति का विकास होता है। सन्त कवीर के शब्दों में इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया है—“सार-सार को गहि रहे, थोथा देहि उड़ाय।”

इस प्रवृत्ति को और उसके द्वारा बौद्धिकता का विकास करने के लिए प्रश्न करने की एक नई पद्धति का प्रचलन देखने को मिलता है। इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पद्धति कहते हैं। प्रश्न के कुछ वैकल्पिक, प्रायः चार, उत्तर दे दिए जाते हैं। इनमें एक उत्तर सही होता है और शेष उत्तर करीब-करीब सही होते हैं। गद्यांश के आधार पर सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना होता है। उद्धृत पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को सरलतापूर्वक खोजा जा सकता है। परीक्षक/जाँचकर्ता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि परीक्षार्थी किस कक्षा एवं किस अवस्था-श्रेणी से सम्बन्धित है। प्रस्तुत पुस्तक इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाँचवीं / छठवीं कक्षाओं के बालक/बालिकाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है।

सामान्य निर्देश—प्रस्तुत अवतरण को ध्यानपूर्वक एक-एक शब्द को समझकर पढ़ना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने पर पूरा विषय हृदयंगम न हो सके, तो उसको दो बार, तीन बार जब तक भली प्रकार समझ में न आ जाए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।

मूल विचारों, भावों तथा सूक्ष्मनुमा अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करते समय प्रश्न-पत्र में दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

जिस विकल्प को आप सही उत्तर समझते हैं, उसको चिह्नित कर लीजिए और शेष विकल्पों से तुलना कीजिए और आश्वस्त होइए कि आपने सही चयन किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तरों को स्पष्ट करके और विकल्प की शुद्धता का परीक्षण करके हम आपको यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न-पत्र को किस प्रकार हल किया जाता है।

उदाहरण के लिए, हम गद्यांश I को लेते हैं—

जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साझा था। एक-दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज़ करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते थे, तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था, जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे।

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी-सी ज़ायदाद थी, परन्तु उनके निकट सम्बन्धियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े वायदे करके वह ज़ायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान-पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री पर मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर मुहर लग गई। जुम्मन की पत्ती करीमन रेटियाँ देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए।

प्रश्न

- जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में से जब कोई बाहर जाता था, तो एक-दूसरे को अपना घर सौंप जाता था, क्योंकि—
 (A) वे मकान की देखभाल करने में बहुत निपुण थे
 (B) वे घनिष्ठ मित्र थे
 (C) एक को दूसरे पर अटल विश्वास था
 (D) उनकी मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे

आप गद्यांश को पढ़कर देखिए—“उसमें एक-दूसरे पर अटल विश्वास था” वाली बात स्पष्ट लिखी है। अतः उत्तर (C) है।

विकल्प (A) की चर्चा गद्यांश में नहीं है।

विकल्प (B) के साथ मकान की देखभाल जुड़ी नहीं है।

विकल्प (D) में ‘जब वे बालक थे’ की बात है। मकान की चर्चा नहीं है। इस दृष्टि से भी उत्तर (C) ही है।

- शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए—

- (A) लेन-देन में कुछ साझा था
 (B) कुछ लेन-देन भी साझा था

- (C) लेन-देन में भी साझा था
 (D) कुछ था लेन-देन में भी साझा

विकल्प (C) और (D) अमान्य हैं, क्योंकि केवल लेन-देन में साझे की बात कही गई है, अन्य किसी बात में नहीं और भी का प्रयोग अनावश्यक है।

विकल्प (D) व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अतः उत्तर (A) है।

- ज़ायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया।

इससे उसके स्वभाव की यह विशेषता प्रकट होती है कि—

- (A) वह बहुत चालाक था
 (B) वह बहुत स्वार्थी था
 (C) वह धोखेबाज था
 (D) वह बहुत अहंकारी था

(A) और (C) अमान्य हैं, क्योंकि वह यदि ऐसा होता, तो अलगू चौधरी का मकान चाहे जब दाव सकता था। अहंकारी होने का कोई सन्दर्भ नहीं है। अतः (D) अमान्य। वह स्पष्टतः स्वार्थी था। अतः उत्तर (B) है।

- बूढ़ी खाला ने जुम्मन के नाम ज़ायदाद क्यों लिख दी ?

- (A) उसके कोई निकट सम्बन्धी नहीं था
 (B) उसको किसी के सहारे की जरूरत थी
 (C) उसको पका-पकाया खाना चाहिए था
 (D) जुम्मन ने उससे लम्बे-चौड़े वायदे किए थे

विकल्प (C) की चर्चा कहीं नहीं है। विकल्प (A) और (B) के सन्दर्भ में रजिस्ट्री का जिक्र नहीं है। उसने रजिस्ट्री की जुम्मन की बातों में आकर गद्यांश में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। अतः उत्तर (D) है।

- ‘खातिरदारी पर भी मुहर लग गई’, इसका तात्पर्य है—

- (A) बूढ़ी खाला की खातिरदारी की कानूनी जिम्मेदारी जुम्मन की हो गई¹
 (B) खातिरदारी का भी अन्त हो गया
 (C) खातिरदारी का दिखावा भी प्रकट हो गया
 (D) खातिरदारी का स्वरूप निश्चित हो गया

विकल्प (A) और (D) का कोई अर्थ नहीं है। मुहर लगने का अर्थ पटाक्षेप (अन्त) है विशेषकर ज़ायदाद पर खाला की मालिकियत का और फिर दिखावा प्रकट होने में थोड़ा समय लगा था। अतः विकल्प (B) सही उत्तर है।

इस प्रकार गद्यांश में निहित कथ्य के आधार पर प्रत्येक विकल्प की उपयुक्तता पर विचार करने के उपरान्त सही विकल्प (उत्तर) को तय किया जा सकता है।